(13)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2017/4059

सुरेश चंद गुप्ता वल्द नारान दास गुप्ता
निवासी – गनेश बाजार, झांसी, तह. व जिला झांसी (उ.प्र.) .....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा :– अनुविभागीय अधिकारी बीना
तह. बीना, जिला सागर .....अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित रिवीजनकर्ता माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित अपील प्र0क्र0/105/अ–67/वर्ष 2015–2016 पक्षकार सुरेश चंद गुप्ता विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.10.2017 से दुखित होकर विधि एवं तथ्यों के अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि, माननीय निम्न न्यायालय ने रिवीजनकर्ता के इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी, बीना द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए प्रकरण में एक भी चक्षुदर्शी साक्षी के कथन न्यायालय में नहीं हुए हैं न ही रिवीजनकर्ता को किसी भी साक्षी को प्रतिपरीक्षण का अवसर ही प्रदान किया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता के उपरोक्त तर्क को स्वीकार कर रिवीजनकर्ता की अपील स्वीकार करना चाहिए थी परंतु ऐसा न कर माननीय निम्न न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2. यह कि, माननीय निम्न न्यायालय ने रिवीजनकर्ता के इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी, बीना द्वारा पंचनामा में दर्शित व्यक्तियों के कथनों को न्यायालय में लिया जाना चाहिए था। माननीय अनुविभागीय अधिकारी, बीना द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस कारण माननीय निम्न न्यायालय को अनुविभागीय विभागीय अधिकारी बीना द्वारा पारित आदेश निरस्त करना चाहिए था एवं माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय को अनुविभागीय अधिकारी बीना का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करना चाहिए थी परंतु ऐसा न कर माननीय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/4059 **जिला** – सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –11–17	आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्र. 105/अ–67/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण अवैध उत्खनन का है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह पाया है कि आवेदक द्वारा ग्राम दौलतपुर की शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन प्रमाणित पाये जाने के कारण उस पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों के संबंध में समवर्ती निर्णय है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। 2/ पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	